भारत सरकार
विदेश मंत्रालय
राज्य सभा
अतारांकित प्रश्न संख्या 71
दिनांक 02.02.2023 को उत्तर दिए जाने के लिए

विदेशों में भारतीयों को हिरासत में लिया जाना

71 श्री ए. ए. रहीमः

क्या **विदेश** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे किः

(क) पिछले पांच वर्षों के दौरान उचित यात्रा दस्तावेजों की कमी के कारण विदेशों में हिरासत में लिए गए भारतीयों की संख्या कितनी है; और

(ख) मंत्रालय द्वारा ऐसे बंदियों की स्वदेश वापसी सुनिश्चित करने के लिए क्या कदम उठाए जा रहे हैं और ऐसे बंदियों की संख्या कितनी है जो पिछले पांच वर्षों के दौरान प्रति वर्ष स्वदेश भेजे गए हैं?

उत्तर
विदेश राज्य मंत्री
(श्री वी. मुरलीधरन)

(क और ख) सरकार को किसी भी देश में किसी कारण से हिरासत में लिए गए भारतीय नागरिकों के बारे में तब पता चलता है जब या तो मेजबान सरकार द्वारा सूचित किया जाए या शिकायत की जाए अथवा किसी व्यक्ति या उसके दोस्तों या रिश्तेदारों द्वारा सहायता माँगी जाए। कई देश गोपनीयता कानूनों का हवाला देते हुए अपने क्षेत्रों में हिरासत में लिए गए विदेशी नागरिकों का डेटा साझा नहीं करते हैं। यहाँ तक कि जानकारी साझा करने वाले देश भी आमतौर पर हिरासत में लिए गए लोगों के बारे में विस्तृत जानकारी नहीं देते हैं। इसलिए, उचित यात्रा दस्तावेजों की कमी के कारण विदेशों से हिरासत में लिए गए / निर्वासित / प्रत्यावर्तित भारतीयों के बारे में अलग से कोई विशिष्ट डेटा उपलब्ध नहीं है।

सरकार विदेशों में भारतीय नागरिकों की वैध यात्रा और ठहरने को प्रोत्साहित करती है। जब भी अप्रवासी कानूनों के उल्लंघन के लिए किसी भारतीय नागरिक को हिरासत में लिया जाता है, तो विदेश स्थित भारतीय मिशन/केंद्र कोंसली सहायता की माँग करते हैं और हिरासत केंद्रों/जेलों का दौरा करते हैं जहाँ भारतीय नागरिकों को हिरासत में रखा जाता है। भारतीय राष्ट्रीयता की पुष्टि के बाद, स्वदेश वापसी की सुविधा के लिए आवश्यक किसी भी दस्तावेज जैसे आपातकालीन प्रमाण–पत्र जारी करना, यदि भारतीय नागरिकों के पास वैध भारतीय पासपोर्ट नहीं है, तो वह हमारे मिशनों/केंद्रों द्वारा जारी किया जाता है ताकि उनकी स्वदेश वापसी की जा सके। भारतीय समुदाय कल्याण निधि (आईसीडब्ल्यूएफ) के माध्यम से हिरासत में लिए गए भारतीय नागरिकों को उनकी शीघ्र रिहाई और स्वदेश वापसी की सुविधा के लिए माली हालत के आधार पर संबंधित भारतीय मिशन/केन्द्र द्वारा वित्तीय सहायता भी प्रदान की जाती है। इसमें, यदि आवश्यक हो, कानूनी शुल्क वहन करना, जुर्माना का भुगतान और भारत लौटने के लिए हवाई किराया शामिल है।

*****